24-02-2024

आयुष समग्र कल्याण केंद्र

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में 'आयुष समग्र कल्याण केंद्र' का उद्घाटन किया। आयुष समग्र कल्याण केंद्र, आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) के सहयोग से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक पहल है।
- इस अवसर पर, सर्वोच्च न्यायालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच आयुष समग्र कल्याण केंद्र की स्थापना, संचालन और विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- आयुष समग्र कल्याण केंद्र एक अत्याधुनिक सुविधा है, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए समग्र देखभाल उपलब्ध कराती है। यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है।

आयुष मंत्रालय के बारे में

- आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हमारी चिकित्सा की प्राचीन प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रचार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था।
- इससे पहले, 1995 में गठित भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (आईएसएम एंड एच) इन प्रणालियों के विकास के लिए जिम्मेदार था।

- इसके बाद नवंबर 2003 में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग के रूप में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- ध्यातव्य है कि सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया था। वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।
- इस मिशन का उद्देश्य उन राज्यों में मौजूदा आयुष शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन और नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

धनखड़ ने अभ्यास मिलन 2024 के एक भाग के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन अभ्यास मिलन 2024 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और यह परिसंवाद ने महासागरों के पार स्थित देशों के बीच सहयोग, तालमेल एवं विकास के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है।
- इस सम्मेलन में भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष, मैत्रीपूर्ण संबंध वाले देशों के नौसेना प्रमुखों, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, भारत तथा मित्रवत देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सभी विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति ने समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देने के महत्व को उजागर किया है।
- इस सम्मेलन की विषय-वस्तु "महासागरों में साझेदार: सहयोग, तालमेल, विकास," पर विभिन्न प्रस्तुतियों और चर्चाओं की एक शानदार श्रृंखला पेश की गई। यह प्रस्तुति आर्थिक विकास, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, जलवायु परिवर्तन शमन, नीली अर्थव्यवस्था पहल और समुद्र आधारित बुनियादी ढांचे के सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित थे।
- यह सम्मेलन वैश्विक समुद्री समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों को हल करने और उपलब्ध अवसरों को इस्तेमाल करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के स्थायी महत्व के प्रमाण के रूप में सामने आया है। इस संगोष्ठी के प्रतिभागियों ने सार्थक संवाद और साझेदारी के माध्यम से अधिक सुरक्षित, टिकाऊ एवं समृद्ध समुद्री क्षेत्र के विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य किया है।

अभ्यास मिलन 2024

सुर्खियों में क्यों?

- 16 से 27 फरवरी के दौरान विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 'मिलन- 2024' का आयोजन किया गया|
- यह अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान (ईएनसी) द्वारा आयोजित किया गया।
- यह नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण है जो दो प्राथमिक चरणों में आयोजित हुआ, पहला- बंदरगाह में तो दूसरा समुद्र में। अभ्यास का बंदरगाह चरण 19 से 23 फरवरी तक जबकि समुद्री चरण 24 से 27 फरवरी तक आयोजित किया गया|
- इस संस्करण में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम,

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

इंडोनेशिया और मलयेशिया समेत 50 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका मकसद समान विचारधारा वाले देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।
- इसकी शुरुआत 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में भारतीय नौसेना द्वारा केवल चार देशों, अर्थात इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ हुआ था|
- यह पहल मूल रूप से भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के अनुरूप है , लेकिन आने वाले वर्षों में भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और सागर पहल के साथ विस्तार किया, जिसमें पश्चिमी आईओआर (हिंद महासागर क्षेत्र) में द्वीप राष्ट्रों के साथ-साथ आईओआर तटीय क्षेत्रों की भागीदारी भी शामिल की गई ।

समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने भारत के जैविक निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग बनाया है। यह प्रभाग अब देश की जैविक निर्यात क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों में समन्वय के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है।

- इसके अलावा अपेडा ने उत्तराखंड और सिक्किम से जैविक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप भी तैयार किया है|
- इस योजना का फोकस कृषि प्रथाओं को बढ़ाने, प्रमाणन प्रक्रियाओं को अधिकतम करने तथा प्रमुख निर्यात उत्पादों की पहचान करने पर है।
- साथ ही योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रमुखता में वृद्धि करना है।
- इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) में सुधार किया जा रहा है। एनपीओपी दिशानिर्देशों में होने वाले संशोधनों का उद्देश्य यूरोपीय संघ विनियमन सहित प्रमुख वैश्विक नियमों और मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है।

जैविक कृषि का महत्व

- जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है, जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक उर्वरक और खाद जैसे- कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है|
- इस प्रकार की कृषि से भूमि की उपजाऊ क्षमता एवं जल स्तर में वृद्धि होती है। साथ ही सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है।
- रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है।

फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- मिट्टी, खाद्य पदार्थ और ज़मीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण मे कमी आती है। यह

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

पर्यावरण संबंधी लाभ के साथ-साथ स्वच्छ, स्वस्थ, गैर-रासायनिक उपज किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिये लाभदायक है।

- ध्यान रहे, सिक्किम वर्ष 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना। उसे जैविक राज्य का दर्जा अपनी लगभग 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर जैविक प्रथाओं एवं जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने से प्राप्त हुआ है। सिक्किम में रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों या आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का कोई उपयोग नहीं किया जाता है।

मानव-वन्यजीव टकराव की स्थिति का आकलन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केरल राज्य में, विशेषकर वायनाड जिले में मानव वन्यजीव टकराव की घटनाएं सामने आई हैं।
- इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने क्षेत्र में मानव-वन्यजीव टकराव की समस्या का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के वैज्ञानिकों के साथ 21 और 22 फरवरी 2024 को कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और केरल के वायनाड का दौरा किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसके दौरान पर्यावरण मंत्री ने वायनाड जिला कलेक्टरेट की अध्यक्षता में एक बैठक की। बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा के क्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की-

  सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (एसएसीओएन), कोयंबटूर अब डब्ल्यूआईआई (WWI) के अधीन है और इसे अब मानव वन्यजीव टकराव को खत्म करने पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के साथ सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- अंतर-राज्य समन्वय: सभी दक्षिणी राज्यों के बीच वन्यजीवन के मुद्दों पर बेहतर सहयोग, समन्वय और सहकार्य की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अंतर-राज्य समन्वय बैठकें बुलाई जाएंगी तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अंतर-राज्य समन्वय बैठकों की सुविधा प्रदान करेगा।
- क्षमता निर्माण: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के उपयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों तथा आधुनिक ट्रैकिंग प्रणालियों के उपयोग के लिए फ्रंटलाइन कर्मचारियों और अन्य फ्रंटलाइन विभागों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
- वित्त पोषण सहायता: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केरल राज्य को विभिन्न योजनाओं के तहत 15.82 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मांग/संचालन की वार्षिक योजना के आधार पर केंद्र सरकार हाथी रोधी बाड़ और वन्य जीवों को जंगल से बाहर आने से रोकने के लिए किये गये अन्य उपायों के लिए सीएएमपीए और अन्य योजनाओं के तहत वित्त पोषण सहायता पर विचार करेगी।
- कॉरिडोर प्रबंधन योजना: केंद्र सरकार भारतीय वन्यजीव संस्थान के माध्यम से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कॉरिडोर प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता करेगी।
- हाथी रोधी बाड़: विशिष्ट स्थानों पर हाथी रोधी बाड़ें बनाई जा सकती हैं। राज्य सरकार सीएमपीए और अन्य योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से वित्त पोषण सहायता के लिए अनुरोध कर सकती है।
- मुआवज़ा और तत्काल भुगतान बढ़ाना: कें

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

सरकार ने मानवीय क्षति पर अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है। इस अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य सरकार को तुरंत और पारदर्शी तरीके से करना है। राज्य को पारदर्शी तरीके से एक उपयुक्त तंत्र और प्रोटोकॉल विकसित करना होगा।

- मानव वन्यजीव टकराव को कम करने के लिए जंगली जानवरों को पकड़ने, स्थानांतरित करने या शिकार करने की अनुमति के संबंध में, केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 11 राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को मानव वन्यजीव टकराव को रोकने के लिए ऐसी आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार देती है।
- मानव- वन्यजीव संघर्ष के कारण
- प्राकृतिक वास का नुकसान।
- जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि।
- जंगली जानवरों को खेत की ओर आकर्षित करने वाले फसल पैटर्न बदलना।
- वन क्षेत्र से जंगली जानवरों का भोजन और चारे के लिये मानव-प्रधान भू-भागों में आना-जाना।
- वनोपज के अवैध संग्रहण के लिये मनुष्यों का वनों की ओर आना-जाना।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों आदि की वृद्धि के कारण आवास का क्षरण।
- शहरीकरण एवं अवसंरचनात्मक विकास
- जलवायु परिवर्तन

मीडिया परिदृश्य के लिए परिवर्तनगामी पोर्टल का अनावरण

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज चार परिवर्तनगामी पोर्टल लॉन्च किए, जो भारत में मीडिया परिदृश्य में क्रांति लाने को तत्पर हैं।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस पहल का उद्देश्य समाचार पत्र प्रकाशकों और टीवी चैनलों के लिए अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देकर व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना, सरकारी संचार में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना, प्रामाणिक सरकारी वीडियो तक आसान पहुंच प्रदान करना और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) का एक व्यापक डेटाबेस बनाना तथा सरकार को भविष्य में केबल टेलीविजन क्षेत्र में नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाना है।
- इन पहलों से लोगों को मीडिया के साथ अपने जुड़ाव को सुव्यवस्थित करने और बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे न केवल पारदर्शिता और नवप्रवर्तन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी।
- पत्रिकाओं/समाचार पत्रों के पंजीकरण में आदर्श बदलाव लाने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल शुरू की गई | प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी) 2023 के तहत डिजाइन किए गए इस पोर्टल का उद्देश्य औपनिवेशिक पीआरबी अधिनियम, 1867 के तहत प्रचलित बोझिल पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

- केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के लिए पारदर्शी एम्पैनलमेंट मीडिया योजना और ई-बिलिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। सीबीसी, मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू और स्वायत्त निकायों को व्यापक 360 डिग्री मीडिया और संचार समाधान प्रदान करता है। सीबीसी की नई प्रणाली मीडिया नियोजन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है और मीडिया उद्योग को पेपरलेस और फेसलेस वातावरण में व्यवसाय करने के लिए एंड-टू-एंड ईआरपी समाधान प्रदान करती है।
- मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग द्वारा विकसित 'नेवीगेट भारत' पोर्टल यानी, नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत, एक एकीकृत द्विभाषी मंच है,

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

जो सरकार के विकास-संबंधी और नागरिक कल्याणोन्मुख उपायों की संपूर्ण श्रृंखला पर वीडियो होस्ट करता है। यह सरकारी वीडियो के लिए एकीकृत हब के रूप में कार्य करेगा|

- केंद्रीकृत संग्रह के माध्यम से केबल क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एलसीओ के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर पहल शुरू की गई है | स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर वर्तमान में देश भर में फैले डाकघरों में एलसीओ के पंजीकरण को एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली के तहत लाने के लिए पहला कदम है। राष्ट्रीय रजिस्टर के उद्देश्य से स्थानीय केबल ऑपरेटरों से जानकारी एकत्र करने के लिए एक वेब फॉर्म डिज़ाइन किया गया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निरीक्षण तंत्र के कामकाज की समीक्षा

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) निगरानी तंत्र और सीसीएस (एनपीएस) नियम 2021 के संचालन की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें वित्तीय सलाहकार और सभी मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों भी शामिल थे।
- बैठक में पूरा विचार-विमर्श उनके मंत्रालय में एनपीएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालयों/विभागों में निगरानी तंत्र के संचालन की स्थिति पर केंद्रित था।
- ध्यान रहे, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रगति की समीक्षा के लिए निरीक्षण तंत्र समिति को 3 महीने में एक बार बैठक करनी होती है। निरीक्षण तंत्र द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि एनपीएस में मासिक योगदान समय पर भेजा जाए और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण भी समय पर हो। मंत्रालयों/विभागों को निर्धारित प्रारूप में एनपीएस के कार्यान्वयन की स्थिति पर छह मासिक रिपोर्ट तैयार करनी होती है।
- गौरतलब है कि सरकार ने मंत्रालय और विभाग के वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में प्रत्येक मंत्रालय और विभाग के लिए 2019 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निगरानी तंत्र की स्थापना की है। इसके आलावा सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 को भी अधिसूचित किया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) क्या है?

- एनपीएस एक आसानी से सुलभ, कम लागत, कर-कुशल, लचीला और पोर्टेबल सेवानिवृत्ति बचत खाता है।
- एनपीएस के तहत, व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते में योगदान देता है और उसका नियोक्ता भी व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा/कल्याण के लिए सह-योगदान कर सकता है।
- केंद्र सरकार ने 01 जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) शुरू की थी | देश में NPS को लागू करने और विनियमित करने की ज़िम्मेदारी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA-Pension Fund Regulatory and Development Authority) की है।
- PFRDA का गठन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी और इसे 1 फरवरी, 2014 से लागू किया गया।
- NPS 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है।
- देश का कोई भी व्यक्ति (निवासी और अनिवासी दोनों) NPS में शामिल हो सकता है, बशर्ते NPS के लिये आवेदन करते समय उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच हो। लेकिन OCI तथा PIO कार्ड धारक और हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) NPS खाता खोलने के लिये योग्य नहीं हैं।

NPS की संरचना द्विस्तरीय है-

- टियर- 1 खाता: यह सेवानिवृत्ति की बचत के लिये बनाया गया खाता है जिसका आहरण नहीं किया जा सकता है।
- टियर-2 खाता: यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। अभिदाता अपनी इच्छानुसार इस खाते से अपनी बचत को आहरित करने के लिये स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं हैं।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)